

प्रेषण,

राम कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र-2 तारुण्य केन्द्र,
प्रौद्योगिकी विहार, नई दिल्ली ।

शिक्षा 171 अनुभाग

संलग्नक: दिनांक: 27 मार्च, 2002

विषय:- सेंट्रल हिन्दू स्कूल दिव्यनगर गोरखपुर को सी०बी०एस०ई० नई-
दिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सेंट्रल हिन्दू स्कूल दिव्यनगर गोरखपुर को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन अनापत्ति नहीं है :-

- 111 विद्यालय की पंजीकृत सौतापट्टी का तत्काल-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
- 121 विद्यालय की प्रकृष्ट सज्जिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नागित एक सदस्य होगा ।
- 131 विद्यालय में कम से कम दस प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- 141 संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से अथवा वैदिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा वर्ष से उक्त केन्द्रीय परिषद की संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा ।
- 151 संस्था शैक्षिक एवं शिथिलता कार्यालयों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के कार्यवाहियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेगे ।

- 16। कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुमन्य सेवानिवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेगे ।
- 17। राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेगे संस्था उनका पालन करेगी ।
- 18। विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/प्रजिकाओं में रखा जायेगा ।
- 19। उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई भी कोई परिवर्तन/संशोधन या परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा ।

2- उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की घूक या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भारतीय,

। राम कुमार ।
विशेष सचिव ।

पू0सं0-90111/15-7-2002 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही

केतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, गोरखपुर ।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, गोरखपुर ।
- 4- निरीक्षक, आंगन भारतीय विद्यालय उ0प्र0, लखनऊ ।
- 5- प्रबंधक, सेंट्रल हिन्दू स्कूल दिव्यनगर, गोरखपुर ।
- 6- गार्ड फ़ाइल ।

आज्ञा से,

। अखिलेश चन्द्र गुप्ता ।
अनु सचिव ।